न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 385 / 2024

अनवान : –

1. लाधुराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र मालाराम जाति जाट निवीास खुंईया तहसील नोहर।
2. हरिराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
3. अमीलाल पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
4. परमेश्वरी पुत्री मालाराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
5. बिमला पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 12/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 89 / 85 की कुल 3.9340 हैक्ट जिसमें 2679 / 39340 हिस्सा भूमि अमीलाल पुत्र मालाराम, 1339 / 19670 हिस्सा भूमि लाधुराम पुत्र मालाराम, 1339 / 19670 हिस्सा भूमि हरिराम पुत्र मालाराम, 1339 / 19670 हिस्सा भूमि परमेश्वरी पुत्री मालाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 224 / 229 की 1.5180 हैक्ट भूमि जिसमें 1 / 2 हिस्सा भूमि ओमप्रकाश पुत्र मालाराम व 1 / 2 हिस्सा भूमि शंकर पुत्र धन्ना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी व प्रतिवादीगण हिन्दु परिवार से शासित है जो कि हिन्दु मितासरा विधि से शासित है एवं वादी व प्रतिवादीण के पूर्वज ने वादग्रस्त कृषि भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं मुताबिक बंटवारा ही कब्जा व काश्त में है। प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 जो की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादीगण संख्या 4 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 2 व प्रतिवादी स0 5 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.04 13:14:20 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा [illegible] कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल [illegible] करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण हिन्दु परिवार से शासित है जो कि हिन्दु मितासरा विधि से शासित है एवं वादी व प्रतिवादीण के पूर्वज ने वादग्रस्त कृषि भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं मुताबिक बंटवारा ही कब्जा व काश्त में है। प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 जो की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादीगण संख्या 4 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 2 व प्रतिवादी स0 5 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 89/85 की कुल 3.9340 हैक्ट जिसमें 2679/39340 हिस्सा भूमि अमीलाल पुत्र मालाराम, 1339/19670 हिस्सा भूमि लाधुराम पुत्र मालाराम, 1339/19670 हिस्सा भूमि हरिराम पुत्र मालाराम, 1339/19670 हिस्[illegible]राम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा मिनकदेसर तहसील [illegible] 1.5180 हैक्ट भूमि जिसमें 1/2 हिस्सा भूमि ओमप्रकाश पुत्र [illegible] हिस्सा भूमि शंकर पुत्र धन्ना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि [illegible]दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.04 13:14:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कृषि भूमि होना जाहिर किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 89/85 की कुल 3.3940 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 का नाम कलमजन किया वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक को 2679/39340 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 224/229 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि मे प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार कातश्कार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.04 13:14:20 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 385/2024

अनवान : –

1. लाधुराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र मालाराम जाति जाट निवीस खुंईया तहसील नोहर।
2. हरिराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
3. अमीलाल पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
4. परमेश्वरी पुत्री मालाराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
5. बिमला पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 385 सन 2024 निर्णय दिनांक 12/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 89/85 की कुल 3.3940 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 का नाम कलमजन किया वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक को 2679/39340 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 224/229 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि मे प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार कातश्कार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.04 13:14:20 IST
Reason: SelfAttested